

**अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**  
**GRANT No. 1 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	227186,13,00		
		242563,62,00	232078,01,87	-10485,60,13
पूरक	Supplementary	15377,49,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6168,60,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	95,64,00		
		118,33,00	75,18,63	-43,14,37
पूरक	Supplementary	22,69,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,00,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹1048560.13 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1537749.00 लाख के पूरक अनुदान का 68 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थी।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1048560.13 lakhs) constituted 68 percent of the supplementary grants of ₹1537749.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “3451” सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head “3451” Secretariat - Economic Services			
मू.	O. 24841.00	21628.16	19612.31	-2015.85
पु.	R. -3212.84			
मुख्य शीर्ष “2401” फसल कृषि कर्म	Major Head “2401” Crop Husbandry			
मू.	O. 15037558.00	17146771.70	17016013.63	-130758.07
पू.	S. 1337744.00			
पु.	R. 771469.70			
मुख्य शीर्ष “2416” कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head “2416” Agricultural Financial Institutions			
मू.	O. 4330000.00	4292038.57	4241172.36	-50866.21
पू.	S. 200000.00			
पु.	R. -237961.43			
मुख्य शीर्ष “2435” अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head “2435” Other Agricultural Programmes			
मू.	O. 366781.00	358100.69	304220.25	-53880.44
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -8681.31			
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O. 1212224.00	43125.60	..	-43125.60
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -1169100.40			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving- grant
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	1721187.00		
पू.	S.	2.00	1747973.28	1601078.76
पु.	R.	26784.28		-146894.52
मुख्य शीर्ष “3602” विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3602” Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	22447.00		
			26269.00	22301.94
पु.	R.	3822.00		-3967.06
(I) ₹1292552.60 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) उनतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹1291574.12 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of ₹1292552.60 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilized under twenty nine heads; of these ₹1291574.12 lakhs accounted for under the following heads:-			
(का) मुख्य शीर्ष “2401” –	(A) Major Head “2401” -			
(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)” – ₹66682.60 लाख; और	(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)” - ₹66682.60 lakhs; and			
(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)” – ₹13448.00 लाख।	(b) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)” - ₹13448.00 lakhs.			

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “फसल कृषिकर्म – बागवानी और सब्जी फसलें – राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)” – ₹750.00 लाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई मांग नहीं होने के कारण।

(ख) “फसल कृषिकर्म – फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” – ₹109208.00 लाख;

(ग) “फसल कृषिकर्म – किसानों की आय सहायता” –

(i) “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” – ₹193600.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹5200.00 लाख;

(iii) “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)” – ₹17549.00 लाख;

(घ) “अन्य कृषि कार्यक्रम – कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहल” –

(i) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹48807.49 लाख;

(ii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹2157.13 लाख;

(iii) “कृषोन्नति योजना” – ₹83944.00 लाख;

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(B) Major Head “2552” -

(a) “Crop Husbandry - Horticulture & Vegetable Crops - National Bee-Keeping Honey Mission (NBHM)” - ₹750.00 lakhs - due to no demand from States/UTs.

(b) “Crop Husbandry - Crop insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - ₹109208.00 lakhs;

(c) “Crop Husbandry - Farmers’ Income Support” -

(i) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹193600.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(ii) “Agriculture Infrastructure Fund” - ₹5200.00 lakhs;

(iii) “Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)” - ₹17549.00 lakhs;

(d) “Other Agricultural Programmes - Special Initiatives for Development of Agriculture & Allied Sector” -

(i) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹48807.49 lakhs;

(ii) “National Mission on Natural Farming” - ₹2157.13 lakhs;

(iii) “Krishonnati Yojna” - ₹83944.00 lakhs;

- (ड) “अन्य कृषि कार्यक्रम – विपणन सुविधाएं – किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन” – ₹3701.63 लाख;
- (च) “भारतीय रिज़र्व बैंक – संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)” – ₹100000.00 लाख;
- (छ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –
- (i) “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” – ₹24236.00 लाख;
- (ii) “कृषोन्नति योजना” – ₹18708.00 लाख;
- (iii) “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” – ₹343400.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (iv) “संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम (एमआईएसएस)” – ₹52600.00 लाख; और
- (v) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹6193.46 लाख।
- (e) “Other Agricultural Programmes - Marketing Facilities - Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - ₹3701.63 lakhs;
- (f) “Reserve Bank of India - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - ₹100000.00 lakhs;
- (g) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - ₹24236.00 lakhs;
- (ii) “Krishonnati Yojna” - ₹18708.00 lakhs;
- (iii) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹343400.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);
- (iv) “Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - ₹52600.00 lakhs; and
- (v) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹6193.46 lakhs.

उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

Provisions under the above fourteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (vi) “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)” – ₹1412.00 लाख; और
- (ज) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (vi) “Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)” - ₹1412.00 lakhs; and
- (h) “Tribal Area Sub-Plan” -

- (i) “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)” – ₹4722.00 लाख।

- (i) “Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)” - ₹4722.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई मांग न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to no demand from States/UTs.

- (ii) “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” – ₹12556.00 लाख;

- (ii) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - ₹12556.00 lakhs;

- (iii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन” – ₹1222.53 लाख;

- (iii) “National Mission on Natural Farming” - ₹1222.53 lakhs;

- (iv) “किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन” – ₹1559.23 लाख;

- (iv) “Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - ₹1559.23 lakhs;

- (v) “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” – ₹63001.20 लाख (₹1.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

- (v) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹63001.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.20 lakhs);

- (vi) “संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम (एमआईएसएस)” – ₹37400.00 लाख;

- (vi) “Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - ₹37400.00 lakhs;

- (vii) “कृषोन्नति योजना” – ₹58986.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

- (vii) “Krishonnati Yojna” - ₹58986.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and

- (viii) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹20529.25 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

- (viii) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹20529.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh).

प्रावधान अप्रयुक्त सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (II) मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान

- (II) Supplementary grant obtained under Major

पूर्णतः अप्रयुक्त रहा, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है:-

(का) “बीज – पौध किस्मों और किसान अधिकारों का संरक्षण” – ₹5000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹6200.00 लाख तक बढ़ा दिया गया। तथापि, ₹2486.98 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(खा) “कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी – महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र” – ₹3500.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹7100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10600.50 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹10203.39 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(गा) “तकनीकी उन्नति – नमो ड्रोन दीदी” – ₹50000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹252.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹50252.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹50104.19 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) योजना कार्यान्वित करने के लिए ड्रोन की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रधान लेखा कार्यालय” – ₹728.21 लाख की बचत (₹3647.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “कृषि एवं किसान कल्याण विभाग” – ₹4339.08 लाख की बचत (₹20623.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम खरीद किए जाने के कारण हुईं।

Head “2401” remained wholly unutilized as shown against each:-

(A) “Seeds - Protection of Plant Varieties and Farmer’s Rights” - the original provision of ₹5000.00 lakhs was augmented to ₹6200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2486.98 lakhs (including supplementary grants); and

(B) “Agricultural Economics and Statistics - Mahalanobis National Crop Forecasting Centre” - the original provision of ₹3500.50 lakhs was augmented to ₹10600.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7100.00 lakhs. However, there was a saving of ₹10203.39 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals.

(C) “Technological Advancement - Namo Drone Didi” - the original provision of ₹50000.00 lakhs was augmented to ₹50252.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹252.00 lakhs. However, there was a saving of ₹50104.19 lakhs (including supplementary grant) - due to non-procurement of Drones for implementation of the scheme.

(III) Under Major Head “3451” - “Secretariat” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Principal Accounts Office” - saving of ₹728.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3647.00 lakhs); and

(B) “Department of Agriculture and Farmers Welfare” - saving of ₹4339.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20623.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals and less procurement.

(IV) मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – कृषि जनगणना” – ₹899.50 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “कृषि इंजीनियरी – ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान” – ₹711.30 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “किसानों की आय सहायता – कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण” – ₹5338.49 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(क) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹8139.78 लाख की बचत (₹9580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” – ₹135329.28 लाख की बचत (₹218124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ड.) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹4713.13 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2401” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Agricultural Economics and Statistics - Agriculture Census” - saving of ₹899.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(B) “Agricultural Engineering - Tractor Training and Testing Institutes” - saving of ₹711.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals.

(C) “Farmers’ Income Support - Distribution of Pulses to States/Union territories for Welfare Schemes” - saving of ₹5338.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to less receipt of proposals.

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Agriculture Infrastructure Fund” - saving of ₹8139.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9580.00 lakhs);

(b) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - saving of ₹135329.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹218124.00 lakhs); and

(E) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Agriculture Infrastructure Fund” - saving of ₹4713.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of proposals.

- (ख) “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” – ₹17709.60 लाख की बचत (₹113004.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (b) “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - saving of ₹17709.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113004.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States.
- (चा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान” – ₹700.22 लाख की बचत (₹6200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (F) “International Co-operation - Contribution to International Organizations” - saving of ₹700.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies.
- (V) मुख्य शीर्ष “2416” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—
- (V) Under Major Head “2416” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)” – ₹203686.82 लाख की बचत (₹343620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (A) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - saving of ₹203686.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹343620.00 lakhs); and
- (खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)” – ₹86327.79 लाख की बचत (₹178020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (B) “Tribal Area Sub-Plan - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)” - saving of ₹86327.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹178020.00 lakhs).
- बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों/आरबीआई से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies/RBI.
- (VI) मुख्य शीर्ष “2435” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—
- (VI) Under Major Head “2435” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण” –
- (A) “Marketing and quality Control” -
- (क) “विपणन सुविधाएं – किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन” – ₹4549.76 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹39894.71 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (a) “Marketing Facilities - Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - saving of ₹4549.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹39894.71 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- (b) “Special Component Plan for Scheduled

किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन”- ₹1229.02 लाख की बचत (₹9159.18 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) “अन्य” –

(क) “कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहल” –

(i) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹21124.65 लाख की बचत (₹40510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन” – ₹2448.49 लाख की बचत (₹3271.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और योजना को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(iii) “कृषोन्नति योजना” – ₹14012.23 लाख की बचत (₹185465.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-कृषोन्नति योजना” – ₹14256.89 लाख की बचत (₹26105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – कृषोन्नति योजना” – ₹5017.62 लाख की बचत (₹11515.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

Castes - Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - saving of ₹1229.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9159.18 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from States/UTs/ implementing agencies.

(B) “Others” -

(a) “Special Initiatives for development of Agriculture and Allied Sector” -

(i) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹21124.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40510.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) “National Mission on Natural Farming” - saving of ₹2448.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3271.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-approval of the scheme.

(iii) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹14012.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185465.00 lakhs);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Krishonnati Yojna” - saving of ₹14256.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26105.00 lakhs); and

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Krishonnati Yojna” - saving of ₹5017.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11515.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएं” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन” – ₹21303.76 लाख की बचत (₹21453.92 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹69009.51 लाख की बचत (₹469977.24 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन” – ₹5907.46 लाख की बचत (₹5945.38 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “कृषोन्नति योजना” – ₹32662.72 लाख की बचत (₹75695.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹48407.17 लाख की बचत (₹118310.76 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन” – ₹1987.46 लाख की बचत (₹2011.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(घा) “आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि में अंतरण” – ₹3568.28 लाख

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals.

(VII) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share” -

(a) “National Mission on Natural Farming” - saving of ₹21303.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21453.92 lakhs) was due to non-approval of scheme.

(b) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹69009.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹469977.24 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “National Mission on Natural Farming” - saving of ₹5907.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5945.38 lakhs);

(b) “Krishonnati Yojna” - saving of ₹32662.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75695.00 lakhs);

(c) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹48407.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹118310.76 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - National Mission on Natural Farming” - saving of ₹1987.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2011.70 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals from States.

(D) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Agriculture Infrastructure and

की बचत (₹707888.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्र प्रायोजित योजनाएँ – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” के अंतर्गत ₹2442.76 लाख की बचत (₹5649.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IX) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1334.52 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹880498.94 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹218567.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2401” –

(क) “किसानों की आय सहायता” –

- (i) “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” – ₹400714.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹392727.04 लाख था।
- (ii) “एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन” – ₹7513.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2259.03 लाख था।
- (iii) “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)” – ₹3863.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3862.91 लाख था।

Development Fund” - saving of ₹3568.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹707888.00 lakhs) was due to less transfer of funds.

(VIII) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - saving of ₹2442.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5649.07 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(IX) Under four heads savings of ₹1334.52 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 56 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹880498.94 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹218567.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2401” -

(a) “Farmers’ Income Support” -

- (i) “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹400714.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹392727.04 lakhs.
- (ii) “Implementation of MIS/PSS” - ₹7513.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2259.03 lakhs.
- (iii) “Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)” - ₹3863.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3862.91 lakhs.

- (iv) “कृषि अवसंरचना निधि” – ₹20862.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹19958.38 लाख था।
- (iv) “Agriculture Infrastructure Fund” - ₹20862.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19958.38 lakhs.
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” – ₹145326.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹85439.36 लाख था।
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹145326.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹85439.36 lakhs.
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)” – ₹165701.98 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹165390.54 लाख था।
- (c) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)” - ₹165701.98 lakhs. Actual excess, however, was ₹165390.54 lakhs.
- (खा) मुख्य शीर्ष “2435” – “विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन” – ₹991.92 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹772.65 लाख था।
- (B) Major Head “2435” - “Marketing and quality control - Tribal Area Sub-Plan - Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations” - ₹991.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹772.65 lakhs.
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्र प्रायोजित योजनाएँ” –
- (C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -
- (क) “केंद्रीय सहायता/भाग – कृषोन्नति योजना” – ₹48282.11 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6356.12 लाख था।
- (a) “Central Assistance/Share - Krishonnati Yojna” - ₹48282.11 lakhs. Actual excess, however, was ₹6356.12 lakhs.
- (ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (b) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (i) “कृषोन्नति योजना” – ₹48105.58 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹33383.10 लाख था।
- (i) “Krishonnati Yojna” - ₹48105.58 lakhs. Actual excess, however, was ₹33383.10 lakhs.
- (ii) “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” – ₹39138.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22996.90 लाख था।
- (ii) “Rashtriya Krishi Vikas Yojna” - ₹39138.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹22996.90 lakhs.
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2401” –

(क) “फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” – ₹286384.59 लाख का अधिक व्यय (₹982872.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी) – केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को प्रीमियम सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी” – ₹2812.28 लाख का अधिक व्यय (₹23000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद द्वारा फसल 2.0 के तहत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2416” – “भारतीय रिज़र्व बैंक – संशोधित ब्याज सहायता योजना” – ₹1186.97 लाख का अधिक व्यय (₹1548360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं— केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – कृषोन्नति योजना” – ₹2727.94 लाख का अधिक व्यय (₹6550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को राशि जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹646.44 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत

(A) Major Head “2401” -

(a) “Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)” - excess of ₹286384.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹982872.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards premium subsidy to Agriculture Insurance Company Ltd. (AIC) - Central Nodal Agency (CNA) and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) “Agricultural Economics and Statistics - Agriculture Economics and Statistics” - excess of ₹2812.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Indian Meteorological Department (IMD) and the Space Applications Centre (SAC), Ahmedabad under FASAL 2.0.

(B) Major Head “2416” - “Reserve Bank of India - Modified Interest subvention scheme (MISS)”- excess of ₹1186.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1548360.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Krishonnati Yojna” - excess of ₹2727.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6550.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release to UT of J&K for implementation of Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) scheme.

(III) Under two heads excess of ₹646.44 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and

प्रावधान का 14 प्रतिशत और 33 प्रतिशत था।

constituting 14 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹4314.37 लाख) मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹2269.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹4314.37 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2269.00 lakhs obtained in March, 2025 and constituted 36 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4401"	Major Head "4401"			
फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Crop Husbandry			
मू.	O.	7184.00		
पू.	S.	2269.00	8473.00	4916.88
पु.	R.	-980.00		-3556.12

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹3.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र" के अंतर्गत ₹10.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2269.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2279.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो उपग्रह के किराए पर कम व्यय के कारण ₹2229.08 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(II) Under "Agriculture Economics and Statistics - Mahalanobis National Crop Forecasting Centre" - the original provision of ₹10.00 lakhs was augmented to ₹2279.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2269.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2229.08 lakhs - due to less expenditure towards rent of Satellite.

(III) "कृषि इंजीनियरी - ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" के अंतर्गत ₹1755.59 लाख की बचत (₹4790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवनों के निर्माण और मशीनरी और उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under "Agricultural Engineering - Tractor Training and Testing Institutes" - saving of ₹1755.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4790.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for construction of buildings and purchase of machinery and equipment.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹290.87 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 81 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹290.87 lakhs occurred constituting 81 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नानुसार अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess as under:-

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹414.67 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 79 प्रतिशत है।

(I) Excess of ₹414.67 lakhs occurred under one head constituting 79 percent of the sanctioned provision.

---